

I/10280/2021

फाईल संख्या- 105(आ०)/2013 टी०सी०

प्रेषक,

अर्पण कुमार राजू,

उप सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य प्रशासक,उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास
देहरादून।**2. उपाध्यक्ष,**प्राधिकरण, मसूरी देहरादून विकास
प्राधिकरण,
देहरादून।**3. उपाध्यक्ष,**हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।**4. उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,**समस्त जिला स्तरीय
विकास
प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।**5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।**विषय: एक बार समाधान योजना, 2021 को विस्तारित किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-707/V-2/2021/105(आ०)2013 टी.सी. दिनांक 24.03.2021 के द्वारा "एक बार समाधान योजना, 2021" को 06 माह के लिए लागू किया गया था।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "एक बार समाधान योजना, 2021" को मार्च, 2022 तक विस्तारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना को, राज्य के ऐसे नगरीय क्षेत्रों, जिसमें मा० न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिये गये हैं, में भी लागू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Signed by Arpan Kumar
Raju

Date: 05-10-2021 17:59:11

Reason: Approved

(अर्पण कुमार राजू)

उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

I/10280/2021

- 4- निजी सचिव, मा० आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
- 6- गार्ड फाईल।